

मेन्स मास्टर

अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा: जयशंकर

संदर्भ:

- **भौगोलिक महत्व:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) हिमालय पर्वतों में दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरती है, जो ठोस सीमा सीमांकन बनाए रखने की ताकिक चुनौतियों को रेखांकित करती हैं।
- **शक्ति गतिकी:** विवाद केवल क्षेत्र के बारे में नहीं है; यह दो तेजी से बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्तियों के बीच एशिया के भीतर प्रभाव के लिए एक बड़े संघर्ष का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि:

- **ब्रिटिश राज की विरासत:** 1914 के शिमला सम्मेलन के हिस्से के रूप में खींची गई मैकमोहन रेखा का उद्देश्य ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमाओं को परिभाषित करना था। चीन ने कभी भी इसकी वैधता को स्वीकार नहीं किया, यह तर्क देते हुए कि उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र शक्ति नहीं था।
- **1962 का युद्ध:** इस छोटे लेकिन क्रूर युद्ध ने अक्सई चिन पर चीनी नियंत्रण को मजबूत किया। इसने भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास को जन्म दिया, जिससे भविष्य की बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई।

विवाद:

- **अक्सई चिन का महत्व:** अक्सई चिन काफी हद तक बंजर है, लेकिन चीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व है क्योंकि इसमें शिनजियांग और तिब्बत के अशांत क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है।
 - **अरुणाचल प्रदेश का महत्व:** भारत अरुणाचल प्रदेश को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों वाला एक अभिन्न राज्य मानता है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जिससे बातचीत और जटिल हो जाती है।
 - **LAC की अलग-अलग धारणाएँ:** पारस्परिक रूप से सहमत सीमा सीमांकन की कमी का मतलब है कि दोनों पक्षों की ओर से लगातार उल्लंघन और अतिक्रमण के आरोप।
- वर्तमान गतिरोध:
- **गलवान घाटी की विरासत:** 2020 में सैनिकों की मौतों इस बात की कड़ी याद दिलाती हैं कि पिछले समझौतों के बावजूद सीमा अस्थिर हो सकती है।
 - **अविश्वास:** सैनिकों की आवाजाही और बुनियादी ढाँचा विकास गतिविधियों पर आपसी संदेह तनाव को उच्च बनाए रखता है और गलत अनुमान लगाने की संभावना काफी अधिक है।

विवाद को हल करने के लिए मुख्य पहल:

- **कूटनीतिक मार्ग:** दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि विश्वास-निर्माण और सीमा प्रबंधन के लिए निरंतर वार्ता जारी रखते हैं, हालांकि क्षेत्रीय दावों पर कोई सफलता पाना अभी भी मुश्किल है।
- **सैन्य-स्तरीय वार्ता:** ये सामरिक विघटन, भड़कने से रोकने और LAC पर मुठभेड़ों के लिए प्रोटोकॉल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भविष्य की संभावित दिशा:

- **आकस्मिक संघर्ष का खतरा:** सैन्य उपस्थिति में वृद्धि और आक्रामक युद्धाभ्यास से घटनाओं के नियंत्रण से बाहर होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **सहयोग की संभावना:** व्यापार, जलवायु सहयोग या संयुक्त क्षेत्रीय पहल जैसे पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों पर जोर देने से सकारात्मक गति पैदा हो सकती है और समय के साथ तनाव कम हो सकता है।
- **लंबी बातचीत:** अंतिम समाधान में संभवतः कई साल लगेंगे, जिसके लिए अंतरिम में विवाद के सावधानीपूर्वक प्रबंधन के साथ-साथ छोटे, वृद्धिशील कदमों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

भारत-चीन सीमा विवाद जटिल, स्तरित और संभावित रूप से ज्वलनशील है। खुले संचार चैनल महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों को समझौता करने और रचनात्मक कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है - न केवल अपने हितों के लिए बल्कि व्यापक क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी।

लद्दाख का विरोध; न्याय की भूख

संदर्भ

- भारत का एक ठंडा, उच्च ऊँचाई वाला क्षेत्र लद्दाख, 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बना दिया गया है।
- इस कदम ने स्थानीय लद्दाखी लोगों की निर्णय लेने की शक्तियों को सीमित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- प्रसिद्ध लद्दाखी शिक्षक और पर्यावरणविद् **सोनम वांगचुक** ने लद्दाख के लिए अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की वकालत करने के लिए 21 दिनों की भूख हड़ताल का नेतृत्व किया।
- हड़ताल ने राज्य के दर्जे और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की बढ़ती मांग को उजागर किया।

राज्य के दर्जे की मांग के कारण

- **निर्णय लेने की शक्ति का नुकसान:** विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति ने निर्णय लेने की शक्ति को गैर-निवासी नौकरशाहों के हाथों में केंद्रित कर दिया है, जिससे भूमि उपयोग और संसाधन प्रबंधन जैसे मामले प्रभावित हो रहे हैं।
- **भूमि आवंटन नीतियों से बहिष्कार:** यहाँ तक कि मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के पास भी सीमित शक्ति है, जैसा कि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई नई लद्दाख औद्योगिक भूमि आवंटन नीति से उनके बहिष्कार से स्पष्ट है।
- **भूमि मुद्दों को संबोधित करने की शक्ति का अभाव:** स्थानीय लोग अपनी भूमि को प्रभावित करने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार के बिना सीमाओं और उद्योगों के साथ चरागाह भूमि खो रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों की मांगें

- **छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय:** छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने से क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होगी, जिन्हें स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग पर कानून बनाने का अधिकार होगा।
- **राज्य का दर्जा या विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश:** राज्य का दर्जा देने या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने लेकिन विधानसभा के साथ स्थानीय आबादी की निर्णय लेने की शक्ति बहाल होगी।
- **अलग लोक सेवा आयोग और संसदीय सीटें:** ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को सक्षम करेंगे और लद्दाख की अनूठी जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित करेंगे।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ

- **संसाधनों पर पर्यटन का दबाव:** लद्दाख में पर्यटन के तेजी से विकास ने जल संसाधनों पर दबाव डाला है, जिससे पहुँच का असमान वितरण हुआ है।
- **जलवायु परिवर्तन के खतरे:** लद्दाख ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ), भूस्खलन, परमाफ्रॉस्ट क्षरण और बढ़ते तापमान की बढ़ती घटनाओं के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहा है। ये घटनाएँ जीवन, संपत्ति और बुनियादी ढाँचे को खतरे में डालती हैं।

पर्यटन, खनन और विकास का प्रभाव

- **पानी की कमी को बढ़ाना:** पर्यटकों की आगम से पानी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे संभावित रूप से दूषित भूजल पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **पर्यावरण को नुकसान:** यातायात और खनन गतिविधियों में वृद्धि से होने वाला प्रदूषण लेश्वरियों के पिघलने में तेजी लाता है।

संभावित समाधान

- **छठी अनुसूची में शामिल करना:** स्थानीय लोगों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने से अधिक टिकाऊ और समुदाय-केंद्रित विकास की संभावना होगी।
- **सतत पर्यटन:** जल संरक्षण उपायों और पीक सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या सीमित करने जैसी प्रथाओं को लागू करना।
- **जलवायु-लचीला विकास:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश।

निष्कर्ष

सोनम वांगचुक के नेतृत्व में भूख हड़ताल लद्दाख के लोगों में उनकी वर्तमान स्थिति और उनके जीवन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के प्रति असंतोष का एक शक्तिशाली संकेत है। छठी अनुसूची या राज्य के माध्यम से स्वशासन बढ़ाने की उनकी प्राथमिक मांगों का उद्देश्य तेजी से बदलती दुनिया में उनकी स्वायत्तता, संसाधनों और एक टिकाऊ भविष्य को सुरक्षित करना है।



संदर्भ:

- भारत के महत्वाकांक्षी नदीकरणयोजना ऊर्जा लक्ष्य, जिसका लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली प्राप्त करना है।
- सौर ऊर्जा इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

पृष्ठभूमि:

- भारत की घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता इसके स्थापना लक्ष्यों से पीछे है।
- लागत और उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से चीन से आयातित सौर पैनलों पर निर्भरता।

नया परिवर्तन:

- "स्वीकृत मॉडल और निर्माता" सूची का कार्यान्वयन।
- इस सूची के लिए घरेलू सौर निर्माताओं को प्रमाणन के लिए निरीक्षण से गुजरना पड़ता है।
- प्रमाणित निर्माता सरकारी सौर ऊर्जा निविदाओं के लिए पात्रता प्राप्त करते हैं।

प्रभाव:

- घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीनी आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य।
- सौर उद्योग द्वारा मांग को पूरा करने के लिए तेजी लाने के कारण अल्पावधि में लागत में संभावित वृद्धि होती है।

सौर उद्योग पर प्रभाव:

- घरेलू निर्माताओं का अधिक जांच का सामना करना पड़ता है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
- घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए संरक्षणवाद के कारण गुणवत्ता से समझौता करने का संभावित जोखिम।

चिंता का विषय:

- भारत के सौर उद्योग के विकास को उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा की सामर्थ्य और गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना।

आगे की राह:

- वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू निर्माताओं के लिए सख्त गुणवत्ता जांच पर जोर देना।
- सौर ऊर्जा को सुलभ बनाए रखने के तरीकों की तलाश करते हुए घरेलू उद्योग में स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना।
- केवल संरक्षणवादी उपायों पर निर्भर रहने से बचें; गुणवत्ता और उपभोक्ता हित सर्वोपरि होने चाहिए।

एजेंसियों को उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में राष्ट्र के लिए खतरा हैं: सीजेआई

- सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए उन अपराधों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं।
- उन्होंने सुझाव दिया कि एजेंसियों पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक दबाव रहा है और उन्हें दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी लड़ाई बुद्धिमानि से चुननी चाहिए।
- चंद्रचूड़ ने तलाशी के दौरान व्यक्तिगत उपकरणों की अत्यधिक जब्ती के बारे में चिंता जताई, व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के साथ जांच की जरूरतों को संतुलित करने के महत्व पर बल दिया।
- सीजेआई ने अपराध का पता लगाने और आपराधिक न्याय सुधार को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता पर प्रकाश डाला, जिम्मेदारी और नैतिक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया।
- उन्होंने प्रौद्योगिकी क्षमताओं को अपनाने में निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रगति का लाभ समाज के सभी सदस्यों तक पहुंच सके।

मनरेगा की मांग में वृद्धि सरकार की विफलता को दर्शाती है: कांग्रेस

- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महामा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की मांग में वृद्धि सरकार की विफलताओं को दर्शाती है।
- नवीनतम आंकड़े MGNREGS के तहत काम की मांग में वृद्धि दिखाते हैं, जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 305.2 मिलियन व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं।
- रमेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि MGNREGS को मूल रूप से कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल तभी रोजगार पैदा करता है जब बेहतर मजदूरी वाले वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं।
- उन्होंने सरकार पर डेटा द्वारा प्रकट व्यापक बेरोजगारी और स्थिर मजदूरी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जो सरकार द्वारा प्रचारित विकास कथा का खंडन करता है।

पीआरएल अहमदाबाद के नेतृत्व वाली टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा पर ओजोन की खोज की

कैलिस्टो पर ओजोन की खोज:

भारतीय वैज्ञानिकों सहित एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के साक्ष्य खोजे हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं और उनके संभावित रहने की क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि इकारस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

रासायनिक विकास अध्ययन:

अध्ययन में कैलिस्टो की सतह पर 'SO2 एस्ट्रोकेमिकल बर्फ' के रासायनिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे ओजोन का निर्माण हुआ, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के नमूनों पर सौर विकिरण प्रभावों का अनुकरण करने के लिए प्रयोग किए गए।

ओजोन का महत्व:

ओजोन की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और जटिल अणु निर्माण की क्षमता को इंगित करती है, जिससे कैलिस्टो की रहने की क्षमता के बारे में सवाल उठते हैं और सौर मंडल के अन्य बर्फीले चंद्रमाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

प्रायोगिक प्रक्रिया:

वैज्ञानिकों ने वैक्यूम पराबैंगनी फोटॉनों से विकिरणित सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के नमूनों का उपयोग करके कैलिस्टो की सतह की स्थितियों को फिर से बनाया, ओजोन गठन का पता लगाने के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम का अवलोकन किया, निष्कर्षों को मान्य करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप डेटा से तुलना की।

व्यापक निहितार्थ:

कैलिस्टो पर ओजोन की खोज पृथ्वी से परे संभावित रहने योग्य स्थितियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, खगोलीय पिंडों की सतह की संरचना में सामान्य आणविक स्रोतों को उजागर करती है और बृहस्पति के चंद्रमा निर्माण प्रक्रियाओं की समझ को आगे बढ़ाती है।

मार्च में सकल जीएसटी ₹1.78 लाख करोड़ रहा, जिससे वित्त वर्ष 24 का राजस्व ₹20.2 लाख करोड़ हो गया।

मार्च जीएसटी राजस्व अवलोकन:

मार्च में जीएसटी राजस्व ₹1,78,484 करोड़ तक पहुंच गया, जो फरवरी के 12.5% की तुलना में 11.5% की वृद्धि दर के साथ दूसरे उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल ₹20.18 लाख करोड़ से अधिक का योगदान देता है।

शुद्ध राजस्व वृद्धि:

रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व मार्च में 18.4% बढ़कर ₹1.65 लाख करोड़ हो गया, जो फरवरी की 13.6% की वृद्धि को पार कर गया, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल ₹18.01 लाख करोड़ रहा, जो 13.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

घरेलू लेन-देन प्रभाव:

मार्च में घरेलू लेन-देन से सकल राजस्व में 17.6% की वृद्धि हुई, जो फरवरी की 13.9% वृद्धि से अधिक है, जबकि माल आयात से राजस्व में फरवरी की 8.5% वृद्धि के बाद साल-दर-साल लगभग 5% की गिरावट देखी गई।

वित्तीय वर्ष का प्रदर्शन:

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के लिए ₹1.68 लाख करोड़ का औसत मासिक संग्रह दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के औसत से अधिक है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 24 के संशोधित अनुमान से अधिक है और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर प्रवाह में थोड़ी कमी है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने वित्त वर्ष 25 के लिए अंतरिम बजट अनुमान वृद्धि को पार करने की संभावना पर प्रकाश डाला, जिसमें निहित विकास लक्ष्य अब 10% से नीचे है, जो जीएसटी राजस्व प्रदर्शन में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देता है।

जलविद्युत क्षेत्र में चार दशकों में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई

38 वर्षों में सबसे तीव्र गिरावट: अनियमित वर्षा के कारण भारत का जलविद्युत उत्पादन 16.3% गिर गया, जिससे उच्च मांग के बीच कोयले से चलने वाली बिजली पर निर्भरता बढ़ गई, जिससे ऊर्जा उत्पादन के रूझान में महत्वपूर्ण बदलाव आया।